the staff strength of the Passport Office, Delhi has been increased as can be seen from the following statement:

Group	1985	1986	1987
'A'	3	6	6
'B'	7	4	4
'C'	86	103	105
'D'	12+1 (Part time)	12+1 (Part time)	12+1 (Part time)

Complaints against Drivers of Taxies and Three-Wheelers

1771. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received against taxi drivers and drivers of three-wheelers for over-charging from passengers, misbehaving with passengers, having faulty metres and refusal to take passengers, during the last two years till June 1987; and

(b) what are the details of action taken against the guilty drivers of these vehicles?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The requisite information is contained in the statement attached. [*See* Appendix CXLIII, Annexure No. 82].

विश्व मानचित्र में जम्मू और काश्मीर को पाकिस्तान का भू-भाग प्रदर्शित किया जाना

1772. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास की ईगल फर्म द्वारा 1987 की गुडविल डायरी में प्रकाशित विश्व मानचित्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस मानचित्र में जम्मू और काश्मीर को पाकिस्तान का भू-भाग प्रदर्शित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार, जिस मामले पर कारवाई करनी है, ने सूचित किया है कि वह संबंधित कानूनों के उपबंधों के तहत कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Rise in Imports

1773. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether imports have shown a steady rise; if so, what are the figures of imports during 1985, 1986 and so far during 1987;

(b) if so, what are the reasons there for;

(c) what steps have been taken to check the same; and

(d) what is the role of the S.T.C. in giving licences to importers and items imported through S.T.C., with

procedure of of enlistment, especially for imports of edible oils?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) India's imports during 1984-85, 1985-86 and 1986-87 were Rs. 17134.20 crores, Rs. 18371.28 crores (provisional) & Rs. 20062.57 crores (provisional) respectively. Even though the level of imports has risen, the overall growth rate of imports has declined from 15.4 per cent in 1985-86 to 9.2 per cent in 1986-87. According to the latest available data, imports grew by 11.4 per cent in the first two months of the current financial year compared to the corresponding period last year.

(b) In 1985-86, imports increased mainly on account of bulk commodities, iron & steel and machinery. In 1986-87, imports of iron & steel, pearls; precious and semi-precious, stones, machinery & miscellaneous categories contributed to the increase.

(c) Import and Export policy is kept under constant review.

(d) STC does not give licences to importers. Import licences are given in terms of the Import Policy, by CCI&E. STC arranges import of items as per provisions made in the Import Policy. The list of items is indicated in Appendix 5 Part A & B of the Import Policy. Procedure for enlistment of demands with STC varies from item to item. However, it may be stated that in the case of import of edible oils, STC arranges imports for meeting the requirements of the Vanaspati Industry and of State Government Departments and Union Territories under Public Distribution System as per monthly allocations issued in their favour by Dte. of Vanaspati and Department of Civil Supplies Ministry of Food & Civil Supplies as provided for in the Import Policy. This being the case, there is no procedure of enlistment of demand for imported edible oils with STC.

कृषि मजदूर

1774. **श्री रामसिंहभाई पातलीया भाई राठवा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कृषि मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय है और उन्हें संगठित क्षेत्र की तुलना में बहुत कम मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार उनकी स्थिति में सुधार लाने तथा उनकी मजदूरी आदि के संबंध में एकरूपता लाने के लिए इस समय अथवा निकट भविष्य में कोई कानून बनाने का विचार रखती है ;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कृषि कर्मकारों के बहुसंख्यक प्रभावी संगठन न होने के कारण, सामान्यतः उन क्षेत्रों में, जहां यूनियनें आसानी से गठित की जा सकती हैं, कार्य कर रहे कर्मकारों की तुलना में मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सौदाकारी करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ख) और (ग) कृषि कर्मकारों पर लागू विभिन्न श्रम कानूनों के अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्गों जिनमें कृषि श्रमिक सबसे अधिक है, की सहायता करना है। 20 मई, 1987 की स्थिति के अनुसार, कृषि में अकुशल कर्मकारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित